RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक १२] मंगळवार, एप्रिल ७, २०१५/चैत्र १७, शके १९३७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसा में दिनांक ७ अप्रेल, २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XXI OF 2015.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २१, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४४क में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे " उक्त संहिता " कहा गया है) की धारा ४४क की,—

(एक) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (तीन) में, " विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) शर्त (ख) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) शर्त (घ) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-धारा (२) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) उप-धारा (५) के,—

(क) " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " **सनद** विहित प्ररूप में उसके धारक को दी जायेगी " शब्दों के पश्चात्, " वास्तविक औद्योगिक उपयोग के मामले में ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों और विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना के मामले में नब्बे दिनों के भीतर " शब्द रखे जायेंगे ;

(चार) **स्पष्टीकरण-दो.—**के स्थान में, निम्न स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण दो.—**इस धारा के प्रयोजनों के लिये, " एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अधीन, सरकार द्वारा एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना के विकास के लिये विरचित विनियमों के अधीन एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना या प्रोजेक्टों से है । "। सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ३२८ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा ३२८ की उप-धारा (२) के खण्ड (सोलह-क) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

४. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१), **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजनाओं के लिए भूमि का उपयोग करनेवाले व्यक्ति, को धारा ४४ क के अधीन **सनद** की मंजूरी के लिए उपबंध करती है । यह देखा गया है कि उक्त धारा में **सनद** की मंजूरी के लिए कोई अवधि उपबंधित नहीं की गई है, अतः धारा ४४ क के अधीन **सनद** की मंजूरी प्रायः विलंबित होती है ।

२. **सनद** की मंजूरी में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए, आदेश में उक्त धारा ४४ क में उसकी मंजूरी के लिए, अवधि विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है । इसका विचार करते हुए, **सनद** की मंजूरी के लिए सूचना के दिनांक से **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के मामले में साठ दिनों और एकीकृत-नगर-क्षेत्र परियोजनाओं के मामले में नब्बे दिनों की अवधि विनिर्दिष्ट करना प्रस्तावित है।

३. यह भी आवश्यक है कि ऐसे संशोधनों के रूप में, " विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान पर " एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " इन शब्दों को पहले से ही महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ का महा. ३७) में रखा गया है, इसलिए, उक्त संहिता की धारा ४४ क और ३२८ में पारिणामिक संशोधनों को करना प्रस्तावित है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

मुंबई,
दिनांकित ६ अप्रेल २०१५।

एकनाथराव खडसे,
राजस्व मंत्री ।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अर्न्तग्रस्त है, अर्थात् :–

खंड ४.— इस खंड के अधीन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत किसी कठिनाई के निराकरण के लिए कोई आदेश जारी करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है ।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ७ अप्रेल २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.